

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./87/09/1307  
//आदेश//

भोपाल,दिनांक 13/10/09

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

2/ यह स्थानान्तरण स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर किये जा रहे हैं अतः इन्हे किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादी की पात्रता नहीं होगी।

स. क्र.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीमती नीना मोर्य (इतिहास)	BE 2366	शास.उ.मा.वि. भाटपचलाना जिला उज्जैन	23210377704	शास.उ.मा.वि. महाराजवाडा क्र.3 जिला-उज्जैन	23210777703



लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल,दिनांक 13/10/09

पृष्ठा.क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./87/09/1308  
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. कलेक्टर जिला उज्जैन ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला उज्जैन ।
6. सयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय उज्जैन ।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला उज्जैन ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी जिला उज्जैन म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। एवं संबंधित से स्वयं का संस्था प्रधान से प्रमाणित आवेदन पत्र प्राप्त करने के उपरांत संचालनालय को तत्काल भेजे ।
9. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।



लोक शिक्षण म.प्र.